(1)

The Constitution of India ——— short

Topic —,

Appointment of Atterney General of India — भारत का महान्यायवादी -

And

Appointment of the comptroller and Auditor General of India

भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक

LL.B. II sem

Dr. Nishat Jhan NAS (PG) College Meerut

22/05/2020

प्रश्न : भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? उसके कार्यों और अधिकारों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये।

Who appoints the Attorney General of India? Write a short note on his functions and duties.

उत्तर:

भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति
(Appointment of Attorney General of India)

संविधान के अनु० 76 (1) के अनुसार, राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी को नियुक्ति करता है। भारत के महान्यायवादी के पद पर वही व्यक्ति नियुक्त किया जा सकता है जिसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किये जाने की योग्यता होती है।

भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद–पर्यन्त अपना पद धारण करता है और राष्ट्रपति द्वारा निश्चित किया हुआ पारिश्रमिक पाता है (अनु० 76 (4))।

कार्य और शक्तियाँ (Functions and duties):- भारत का महान्यायवादी भारत–सरकार को ऐसे विधि–सम्बन्धी विषयों पर सलाह देता है, जिन्हें राष्ट्रपति समय–समय पर राष्ट्रपति द्वारा सौंपे जाते हैं। वह ऐसे अन्य कार्यों को भी करता है जो उसे इस संविधान के द्वारा या अधीन या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के द्वारा या अधीन उसे सौंपे जाते हैं (अनु० 76 (2))।

अनु० 76 (2) के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार भारत का महान्यायवादी उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार के विरूद्ध प्रस्तुत किये गये सभी मामलों में भारत सरकार की ओर से पैरवी करता है और इसी प्रकार वह भारत सरकार से सम्बन्धित मामलों में राज्यों के उच्च न्यायालयों में भारत सरकार की ओर से पैरवी कर सकता है। वह भारत सरकार का वकील होता है, इसलिये भारत सरकार के विरूद्ध न तो वह किसी को सलाह दे सकता है और न ही किसी मुकदमे में भारत सरकार के विरूद्ध पैरवी कर सकता है। वह बिना भारत सरकार की अनुमति के आपराधिक मामलों में अभियुक्त व्यक्तियों का प्रतिवाद नहीं कर सकता और न किसी कम्पनी के संचालक के पद पर अपनी नियुक्ति स्वीकार कर सकता है।

भारत के महान्यायवादी को अपने कर्त्तव्यों के करने में भारत के सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार है। (अनु० 76 (3)) वह संसद के किसी भी सदन में बोलने और कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार रखता है, किन्तु उसे संसद में मतदान करने का अधिकार नहीं होता (अनु० 88) संसद् में अपने इन अधिकारों का प्रयोग करते समय उसे संसदीय विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का भी अधिकार होता है।

भारत में महान्यायवादी केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् का सदस्य नहीं होता है, जैसा कि इंग्लैण्ड और कुछ अन्य देशों में होता है। किन्तु अन्य देशों की तरह भारत में भी यह पद राजनीतिक महत्व का पद होता है और जैसे ही केन्द्र में सरकार बदलती है वैसे ही महान्यायवादी अपने पद से इस्तीफा दे देता है। प्रत्येक राजनीतिक दल सत्ता में आने पर अपने विश्वास के किसी व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त करता है।

प्रश्न 94 : भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, कर्त्तव्यों और शक्तियों पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिये।

Write a short essay on the appointment, duties and powers of the Comptroller and Auditor General of India.

उत्तर:

भारत के नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक
(The Comptroller and Auditor General of India)

नियुक्ति (Appointment):- अनु० 148 के अन्तर्गत–भारत के नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जायगी और उसे उसके पद से केवल उसी ढंग से हटाया जा सकता है। भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के पद पर नियुक्त किये गये व्यक्ति को अपना पद ग्रहण करने के पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के सामने तृतीय अनुसूची में निर्दिष्ट फार्म मं शपथ ग्रहण करनी होगी।

उसका वेतन और सेवा की अन्य शर्ते संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार अथवा द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार होंगे। किन्तु उनमें छुट्टी, पेंशन या अवकाश की उम्र के सम्बन्ध में उसके अधिकारों में, उसकी नियुक्ति के बाद, ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा जो उसके लिए हानिकारक हो।

वह, अपना पद छोड़ने के बाद, भारत सरकार या किसी राजय–सरकार के अधीन किसी पद के लिये योग्य नहीं होंगे।

इस संविधान और संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन रहते हुए, भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा–विभाग में सेवारत व्यक्तियों की सेवा–शर्ते और नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां वहीं होंगी जैसा कि राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के परामर्श से बनाये गये नियमों द्वारा विहित किये जायँ।

नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक खर्चे, उस कार्यालय में सेवारत व्यक्तियों को देय सभी वेतन, भत्ते और पेंशन सहित, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे।

कर्त्तव्य और शक्तियाँ (Duties and Powers):- अनु० 149 के अनुसार नियंत्रक और महालेखापरीक्षक संघ औरा राज्यों और किसी अन्य प्राधिकार या निकाय के लेखाओं के सम्बन्ध में वही कार्य करेगा और शक्तियों का प्रयोग करेगा जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अन्तर्गत विहित किये जायँ और जब तक ऐसा उपबन्ध न किया जाय वह उपर्युक्त के सम्बन्ध में ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जैसा कि इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले क्रमशः भारतीय डोमिनियम के प्रांतो के लेखाओं के सम्बन्ध में भारत के महालेखा–परीक्षक को प्रदत्त थीं या उसके द्वारा प्रयोग की जाती